उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : /VII-A–2/2021/137–उद्योग/2005
देहरादून :दिनांक 30 जून, 2021

अधिसूचना

चूँकि पूर्व में, राज्य में नियोजित नगरीय एवं औद्योगिक विकास हेतु क्रमशः विकास प्राधिकरण तथा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कर विकास क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिसूचित किये गये थे। इन अधिसूचित क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी प्रचलित अधिनियमों द्वारा भावी नगरीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनियन्त्रित एवं अनियोजित प्रसार एवं निर्माण को हतोत्साहित कर नियंत्रित करने के साथ–साथ भावी विकास को नियोजित दिशा प्रदान करने का उद्देश्य था; और चूँकि राज्य में उक्त अधिसूचित विकास क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में भावी औद्योगिक विकास को नियंत्रित करने एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में कोई समेकित प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है;

अतः, अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 2(घ), सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधकरण) अधिनियम,1991 की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे समस्त बाहर के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के नियोजित प्रसार हेतु, जिस प्रकार राज्य के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा विनियमन तथा नियोजन कार्य देखा जा रहा है, उसी प्रकार राज्य के अन्य क्षेत्रों, जिनमें भावी औद्योगिक गतिविधियॉं सम्भावित हैं तथा जो वर्तमान में किसी प्राधिकरण के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में भी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को Planning Authority के रूप में अधिकृत करने एवं जिस प्रकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–89/ VII–1/2015– 137–उद्योग/ 2005, दिनांक 12.01.2015 के अनुसार अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार समय–समय पर सीडा को अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर निर्मित हो रही औद्योगिक इकाईयों के औद्योगिक विकास मानचित्र स्वीकृत करने हेतु भी, ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक गतिविधियों हेतु औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हुए, एतद्द्वारा सीडा को अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 51(1) सपठित धारा 12 के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों को धारा 2(d) के तहत उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियों हेतु औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव, शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

संख्याः AA2 (1)/VII–A–2/2021/137–उद्योग/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल), देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य अवस्थापना विकास प्राधिकरण (सीडा), उत्तराखण्ड।
8. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी।
10. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।